राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक : एफ. 1(2)(19)स्था/मबावि/06/51616 जयपुर, दिनांक : 16.07.10

आदेश

राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 एवं संशोधित नियम 2009 के प्रावधानानुसार पर्यवेक्षक के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना 7(2)डीओपी/ए–2/2005 दिनांक 20–1–2006 एवं वित विभाग की अधिसूचना एफ. 12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13–3–2006 के अनुसार दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए रूपये 6750/– प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक पर निम्न शर्तों पर महिला पर्यवेक्षक (परिवीक्षाधीन प्रशिणार्थी) के पद पर रखा जाता है:–

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। इसी प्रकार एडहॉक बोनस के हकदार भी नहीं होगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा और यह अवकाश एक कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण के दौरान यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यदि वह कार्य (ड्यूटी) के दौरान यात्रा पर है तो यात्रा भत्ते का भुगतान देय होगा।
4. नियत पारिश्रमिक में से सामान्य प्रावधायी निधि एवं राज्य बीमा हेतु कटौती नहीं की जावेगी।
5. वैदेशिक सेवा, प्रशिक्षण के दौरान इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी आदेश प्राप्ति के तुरन्त बाद आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि (दिनाक 31.07.2010 तक) में उनके नाम के आगे अंकित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में उपस्थित होकर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा एक प्रति निम्न हस्ताक्षरकर्ता को बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवश्यक रूप से भेजी जाएगी। निर्धारित अवधि तक कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाऐंगे।
7. कार्यग्रहण करने से पूर्व 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो।
8. कार्यग्रहण के समय अभ्यार्थी को आरोग्य प्रमाण पत्र जो जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी संबंधित अभ्यार्थी से समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/डिग्री (सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड, एम.एड, इत्यादि) जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां एवं अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र प्राप्त कर मूल प्रमाण पत्रों से मिलान/प्रमाणित कर उक्त प्रमाण पत्रों की प्रति कार्य ग्रहण सूचना के साथ निदेशक, आईसीडीएस को तत्काल भिजवायेंगे।
10. कार्य ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध (बॉन्ड) स्वयं के खर्चे पर 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में भरकर बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। (प्रपत्र संलग्न है)
11. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उनकी सेवाएं बिना किसी प्रकार की सूचना अथवा कार्यवाही के समाप्त की जा सकती है तथा अभ्यार्थी किसी प्रकार के क्लेम का हकदार भी नहीं होगा।
12. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी का स्थानान्तरण प्रथम पदस्थापन स्थान से किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र नहीं किया जाएगा।
13. परिवीक्षाधीन पर्यवेक्षक को कार्यग्रहण के पश्चात आयोजित होने वाले प्रारम्भिक प्रशिक्षण (इन्डक्शन प्रशिक्षण) तथा परिवीक्षा अवधि में आयोजित होने वाले कार्य प्रशिक्षण में भाग लेना

अनिवार्य होगा। इन प्रशिक्षणों में भाग नहीं लेने वाली पर्यवेक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी (श्रीमती / सुश्री)	नाम पिता / पति (श्री)	श्रेणी	जन्म तिथि	नियुक्ति / पदस्थापन स्थान
1	100	अन्नपूर्णा वर्मा	बोदू राम वर्मा	ओबीसी	26.06.1980	फलोदी (जोधपुर)
2	158	रितिका गुप्ता	रामकिशोर गुप्ता	सामान्य	13.11.1981	बालोतरा (बाड़मेर)
3	225	फरजाना बानो	अब्दुल रहमान	ओबीसी	03.01.1986	बालोतरा–II (बाड़मेर)
4	383	नीलम सामरिया	रामस्वरूप सामरिया	एससी	03.06.1985	पोकरण (जैसलमेर)
5	479	ज्योति कालेर	लोकेश कालेर	एससी	09.03.1981	टोंक ग्रामीण (टोंक)
6	1068	सुनीता मीणा	सीता राम मीणा	एसटी	07.06.1988	खैरवाड़ा– I I(उदयपुर)

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 1(2)(19)स्था / मबावि / 06 / 51617-60 जयपुर, दिनांक : 16.07.10

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
5. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
6. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजकर लेख है कि संबंधित जिले के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत होने पर राजकीय सेवा हेतु उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने का श्रम करें।
8. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी .... को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन संचालित परियोजना में पदस्थापित महिला अभ्यर्थियों (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के राज्य सेवा हेतु उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं नियत पारिश्रमिक पर कार्य करने का मूल सहमति पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराने न हो प्राप्त कर एवं शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित महिला पर्यवेक्षक (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) .... को भेजकर लेख है कि आप राज्य सेवा हेतु उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं नियत पारिश्रमिक पर कार्य करने का सहमति पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराने न हो एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करते हुए नियत अवधि में कार्यग्रहण करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त माने जावेगें।
10. व्यक्तिगत पत्रावली।
11. आदेश पत्रावली

अति. निदेशक (शिशु)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

बन्ध पत्र

यह बन्ध पत्र आज दिनांक .... माह .... वर्ष .... को एक पक्ष के श्री/श्रीमती .... पत्नी/पुत्री .... दूसरे पक्ष के श्री .... पुत्र निवासी जयपुर (प्रथम जामीन) और श्री .... पुत्र .... निवासी .... (द्वितीय जामीन) को एतद् पश्चात् सामूहिक रूप से जामीन कहलावेंगे, की ओर से राजस्थान राज्य का राज्यपाल (जो एतद् पश्चात् सरकार कहलावेंगे) के पक्ष में लिया गया।

चूंकि नियमानुसार प्रशिक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि वह अवधि दिनांक .... से दिनांक .... तक प्रशिक्षण प्राप्त करें।

और चूंकि सरकार उक्त प्रशिक्षार्थी को एतद् पश्चात् लिखी शर्तो पर और इस शर्त पर कि जामीन यह जमानत (सिक्यूरिटी) देंगे कि प्रशिक्षाणी द्वारा कथित शर्तो के अनुसार उचित निष्पादन किया जावेगा, उसे प्रशिक्षण पर रखने को (सरकार) सहमत हो गई,

और चूंकि जामीन प्रशिक्षार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तो को पूर्णतः अनुपालन निम्न दर्शाई गई पद्धति के अनुसार करने हेतु जमानत देने को सहमत हो गये है :–

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्ष्य है :–

1. कि सरकार द्वारा प्रशिक्षार्थी नियमानुसार कर और कथित ईकरारनामें के अनुसरण में उसे प्रशिक्षण हेतु चलन करने के प्रतिफल (कन्सीट्रेशन) में प्रशिक्षार्थी एतद् द्वारा सरकार से संविदा (इकरार) करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के दो वर्ष के अन्दर वह राज्य सेवा से न तो त्याग पत्र देगा और न सेवानिवृत्त होगा।
2. यह कि ऊपर लिखित प्रतिफल (कन्सीट्रेशन) और उक्त कथित इकरार नामे के अनुसरण में प्रशिक्षण और जामीन एतद् द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षाण पूर्ण होने के एक या दो वर्ष की अवधि के अन्दर, यदि प्रशिक्षार्थी द्वारा त्याग पत्र देता है कि या उक्त अनुच्छेद का उल्लंघन कर कोई अन्य नियोजन (एम्पलायमेन्ट) स्वीकार करता है तो प्रशिक्षार्थी और जामीन संयुक्त रूप से और अलग (सेवेरती) रूप से राज्य सरकार को समस्त राशि अदा करेंगे जो सरकार ने प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थी को देना है एवं इसके साथ वे सब अन्य व्यय जो भी जोड़ा जावेगा इसमें सरकार को व्यय करने पडे किन्तु प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षार्थी के लिये गये यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि सम्मिलित नहीं होगी।

बशर्ते कि प्रशिक्षार्थी और जामीन को प्रशिक्षार्थी के प्रशिक्षण के दौरान दी हुई वह राशि जब तक लौटानी पडेगी जब तक कि सरकार की राय प्रशिक्षार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य को नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसके साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध पत्र प्रशिक्षार्थी और जामीनों द्वारा उपर्युक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया है।

प्रशिक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षरित	
साक्ष्य......................	साक्ष्यी......................
प्रथम जामीन द्वारा हस्ताक्षरित	
साक्ष्य......................	साक्षी......................
द्वितीय जामीन द्वारा हस्ताक्षरित	
साक्ष्य......................	साक्षी......................

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित जामीनों के स्वामित्व (प्लेज) में स्थायी सम्पत्ति (हमूवेल प्रोपर्टी) जिसका मूल्यांकन (वेल्यूशन) रूपये 1,50,000 से कम नहीं है।

हस्ताक्षर जिलाधीश/सहायक जिलाधीश/तहसीलदार

विशेष ध्यान हेतु इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षार्थी को दे दी गई थी।